International Journal of Applied Research 2018; 4(12): 286-290

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2018; 4(12): 286-290
www.allresearchjournal.com
Received: 29-10-2018
Accepted: 31-11-2018

डॉ0 पूजा यादव
शांति निकेतन, सुंदरपुर बेला, परमेश्वर चौक, दरभंगा, बिहार, भारत

Correspondence
डॉ0 पूजा यादव
शांति निकेतन, सुंदरपुर बेला, परमेश्वर चौक, दरभंगा, बिहार, भारत

भारत में महिलाओं के अधिकार : एक राजनीतिक विश्लेषण

डॉ0 पूजा यादव

सारांश
अतीत में, महिलाओं ने मुख्य रूप से पुरुष प्रधान समाज में कुछ मानदंडों और परंपराओं का पालन किया जो उन पर कई प्रतिबंध लगाते थे। कार्यकर्ताओं, मानवाधिकार तंत्रों और राज्यों का कार्य यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण रहा है कि मानवाधिकार ढांचे का विकास और समायोजन किया गया है ताकि महिलाओं को बेहतर तरीके से सुरक्षित करने के लिए मानवाधिकारों के उल्लंघन के लैंगिक विशिष्ट आयामों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सके। महिलाओं के मानव अधिकारों को कुशलतापूर्वक सुनिश्चित करने के लिए मौलिक सामाजिक संरचना और शक्ति संबंधों की व्यापक समझ की आवश्यकता है जो मानव अधिकारों का आनंद लेने के लिए महिलाओं की क्षमता को परिभाषित और उत्तेजित करते हैं। इन शक्ति संरचनाओं का जीवन के सभी पहलुओं पर प्रभाव पड़ता है। कानून और राजनीति से लेकर आर्थिक और सामाजिक नीति, पारिवारिक और सामुदायिक जीवन, शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों की प्राप्ति तक इसका प्रभाव पड़ता है। इस पत्र के माध्यम से भारत में महिलाओं के अधिकार पर एक राजनीतिक विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य–शब्दः महिला, सशक्तीकरण, अधिकार, उल्लंघन, शिक्षा, विकास

प्रस्तावना
महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता हासिल करना और महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करना मौलिक मानवाधिकार और संयुक्त राष्ट्र के मूल्य हैं। हालांकि, दुनिया भर में महिलाएं, आमतौर पर अपने पूरे जीवन में अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन का अनुभव करती हैं, और महिलाओं के मानवाधिकारों का हमेशा प्राथमिकता नहीं रही है। महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता प्राप्त करने के लिए उन तरीकों की व्यापक समझ की आवश्यकता होती है जिनमें महिलाएं भेदभाव का अनुभव करती हैं और समानता से वंचित रहती हैं ताकि इस तरह के भेदभाव को खत्म करने के लिए उपयुक्त रणनीति और मानदंड विकसित किए जा सकें। महिलाओं के कुछ समूह अपनी उम्र, जातीयता, राष्ट्रीयता, धर्म, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, विकलांगता और सामाजिक–आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव के अतिरिक्त रूपों का अनुभव करते हैं। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव से निपटने के उपाय और प्रतिक्रियाएं तैयार करते समय भेदभाव के इन परस्पर रूपों को ध्यान में रखा जाना चाहिए (महिला अधिकार मानव अधिकार, 2014)। महिलाओं की प्रगति के लिए भेदभावपूर्ण उपचारों से मुकाबला करना आवश्यक है। इनके अलावा, महिलाओं के अधिकारों को प्राथमिकता देनी चाहिए और उनके प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना चाहिए।
समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हें प्राथमिक स्रोत माना जाता है जो परिवार का पालन–पोषण और पोषण करता है। इस तथ्य के बावजूद कि देश की प्रगति में महिलाओं का योगदान उनके पुरुष समकक्ष के बराबर है, फिर भी वे कई सीमाएँ अनुभव करते हैं जो उन्हें विकास की अपनी क्षमता का एहसास करने से रोकती हैं। यह इस परिप्रेक्ष्य के खिलाफ था कि दुनिया भर की सरकारों ने महिलाओं की जरूरतों और हितों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता महसूस की और विभिन्न चरणों में उनके योगदान को मान्यता दी और उनके सशक्तीकरण के दौरान होने वाली बाधाओं पर काबू पाया। यह शब्द, महिला सशक्तीकरण से तात्पर्य है कि वह अपने जीवन काल में स्वतंत्र रूप से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने की क्षमता रखता है, जिससे उसे जीवन के सभी चरणों में सफलता मिलेगी।

महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन का चित्रण
भारत में महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करने वाले क्षेत्रों को निम्नानुसार बताया गया हैः

कई विकासशील देशों में, "लापता महिलाओं" के मुहावरे का उपयोग किया गया है, जब यह पाया गया था, तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं का अनुपात जनसंख्या में कम है। भारत के कई राज्यों में महिलाएं और लड़कियां लापता हो जाती हैं। प्राथमिक कारणों में से एक जो उनके लापता होने का कारण है, तस्करी है। जब लड़कियों की तस्करी की जाती है, तो उनका बहुत शोषण किया जाता है और उन्हें भोजन और अन्य बुनियादी ज़रूरतों से वंचित किया जाता है। गरीबी से त्रस्त परिवारों की लड़कियों को दलालों द्वारा उत्तरी भारत में पुरुषों को बेचा जाता है, जहां असंतुलित लिंग अनुपात की समस्या बहुत स्पष्ट है। इसके अलावा, महिलाओं के भी मामले सामने आए हैं, जो अपने वैवाहिक घरों से गायब हो जाती हैं। घर के भीतर और बाहर महिलाओं के खिलाफ हिंसक और आपराधिक कृत्यों की घटना, मुख्य रूप से उनकी अनुपस्थिति की ओर ले जाती है।

भारत में, अपने वैवाहिक घरों में महिलाओं की दहेज हत्या में वृद्धि हुई है। दहेज से संबंधित विवाद एक गंभीर समस्या बन गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने बताया, 2012 में दहेज के लिए लगभग 8233 नवविवाहित महिलाओं की हत्या कर दी गई थी। दहेज लेना और देना देश के भीतर एक अपराध के रूप में मनाया जाता है। दहेज निषेध अधिनियम 'को भारत में उचित तरीके से लागू नहीं किया गया है। यह पता चला है कि ज्यादातर राज्यों में न तो दहेज निषेध अधिकारी हैं और न ही उन्होंने दी और प्राप्त की गई चीजों का रिकॉर्ड रखने के लिए इसे अनिवार्य बनाया है।

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 से महिलाओं की सुरक्षा के बावजूद, भारत में घरेलू हिंसा का प्रचलन रहा है। घरेलू हिंसा तब होती है, जब कोई महिला अपने पति, ससुराल वालों के हाथों हिंसक और आपराधिक कार्य करती है। इनमें मौखिक दुर्व्यवहार, शारीरिक शोषण और दुर्व्यवहार के विभिन्न रूपों को शामिल करना शामिल है। महिलाओं के अपने वैवाहिक घरों के भीतर घरेलू हिंसा का अनुभव करने के कई कारण हैं, ये उपयुक्त तरीके से घर के कामों को अंजाम देने में असमर्थता है, वित्तीय समस्याएं, एक पुरुष बच्चे की इच्छा, महिलाओं की ओर से अनपढ़ता और अशिक्षा, बैठक में समस्याओं का अनुभव करना। आवश्यक जरूरतों और आवश्यकताओं, स्वास्थ्य समस्याओं और विरोध और आक्रोश की भावनाएं।

सती एक प्रथा है, जब विधवाओं को उनके पतियों के अंतिम संस्कार में रखा जाता था। इस प्रथा को समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने समाप्त कर दिया था। यह औपनिवेशिक भारत के बाद कायम है। सती प्रथा निवारण अधिनियम पारित किया गया था जिसने सती प्रथा को अपराध घोषित किया था जिसके लिए अपराधियों को मृत्युदंड भी दिया जा सकता था। इस अधिनियम ने यह भी घोषित किया कि एक मंदिर बनाने और एक देवता के रूप में मृत महिलाओं की पूजा करने से सती की पूजा भी निषिद्ध है। हालाँकि, कुछ विशेष वर्गों के व्यक्ति इस कानून को अपने धर्म के अधिनायकत्व के अधिकार में हस्तक्षेप के रूप में मानते हैं।

बाल विवाह तब होता है जब लड़कियों की शादी तब होती है, जब उनकी आयु 18 वर्ष से कम होती है और जब लड़के 21 वर्ष से कम होते हैं। बाल विवाह एक ऐसी प्रथा मानी जाती है जो अपने बचपन की लड़कियों को वंचित करती है। वे शिक्षा के अधिग्रहण, स्कूल में दाखिला लेने, अन्य बचपन की गतिविधियों का आनंद लेने और अपने कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने में समस्याओं का अनुभव करते हैं। यह बच्चे के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक विकास को भी नकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है। जब बालिकाएँ अपने वैवाहिक घरों के भीतर घरेलू हिंसा का अनुभव करती हैं, तो वे असुरक्षित और आशंकित महसूस करती हैं। बाल विवाह अधिनियम 2006, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाता है और 18 को लड़कियों के लिए विवाह योग्य आयु और लड़कों के लिए 21 घोषित करता है।

वे व्यक्ति, जो ग्रामीण समुदायों और समाज के सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित हैं, आमतौर पर पुरुष बच्चे को वरीयता देते हैं। वे पुरुषों को परिवार की संपत्ति मानते हैं और इस दृष्टिकोण के अधिकारी हैं कि वे अपने परिवारों की कल्याण और प्रतिष्ठा बढ़ाने में योगदान देंगे। पुरुष बच्चे के लिए वरीयता एक घटना है, जो ऐतिहासिक रूप से भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक व्यवस्था में निहित है। पुत्र होने की प्रबल प्राथमिकता, भारतीय समाज के आदिम अवस्था से परिवर्तन के साथ हुई, जो मुख्य रूप से सामंती अवस्था के लिए एक मातृवंशीय क्षेत्र हुआ करता था, जहाँ कृषि पुरुषों द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले लोगों के प्राथमिक मान्यता प्राप्त व्यवसाय के रूप में उभरी।

बेटी भ्रूण हत्या को बालिका की हत्या के लिए संदर्भित किया जाता है, जब वह पैदा होती है और उसके जन्म से पहले कन्या भ्रूण हत्या होती है। ये प्रथाएं, बालिकाओं के मूल अधिकार से वंचित हैं, अर्थात् जीने का अधिकार। व्यक्तियों के समुदाय रहे हैं, जिनकी पुरुष बच्चों के लिए एक मजबूत प्राथमिकता है। उनके पास यह दृष्टिकोण था कि पुरुष बच्चों वाले परिवारों को गर्व के साथ देखा जाता था, जब भूमि के बड़े हिस्से पर उनका नियंत्रण होता है। वे महिलाओं को दायित्व के रूप में मानते थे, जो अपने परिवारों के लिए कोई धन नहीं पैदा करते।

शिक्षा को सबसे अनिवार्य पहलुओं में से एक माना जाता है जो महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा देगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार ने सरकार को सभी व्यक्तियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए अनिवार्य बना दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में, स्कूलों में लड़कियों की अवधारण दर पुरुषों और पुरुषों की तुलना में कम है, इसके कई कारण हैं। लड़कियों को ड्रॉप–आउट करने के लिए नेतृत्व, क्योंकि वे उच्च कक्षाओं में जाते हैं। उच्च शिक्षा में, प्राथमिक कारण जो उनके ड्रॉप–आउट के लिए होता है, माता–पिता वित्तीय समस्याओं के कारण शिक्षा का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। माता–पिता उम्मीद करते हैं कि उनकी लड़कियां अपने छोटे भाई–बहनों की देखभाल करेंगी, क्योंकि वे काम पर जाते हैं, वे उन्हें घर के काम के प्रदर्शन के बारे में प्रशिक्षित करते हैं, शिक्षा की बढ़ती लागत और माता–पिता को लगता है कि लड़कियों की शादी हो जाएगी, इसलिए, वे सक्षम नहीं होंगे उनकी शिक्षा का उपयोग करने के लिए।

भारत में, विधवाओं को उनके वैवाहिक घरों से बेदखल कर दिया जाता है और वे अपने पति की मृत्यु के बाद उनकी जरूरतों और आवश्यकताओं को खुद ही देखती हैं। उनके बच्चे भी उनके साथ बेदखल हो जाते हैं। पुरुषों की तुलना में घरों में रहने वाली महिलाएं और सामान्य रूप से महिलाएं कम सुरक्षित हैं। जब एक महिला अपने जीवनसाथी को खो देती है, तो विभिन्न प्रकार के हानिकारक परिणाम होते हैं, जिनसे उन्हें गुजरना होता है। जब उन्हें घरों से निकाला जाता है, तो उन्हें अपने भरण–पोषण के लिए सभी कठिनाइयों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक एकल महिला, जिसके पास देखभाल करने के लिए कोई भूमि या परिवार नहीं है, अक्सर एक शहरी झुग्गी में समाप्त होती है।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की घटना को सबसे अधिक हानिकारक समस्या माना जाता है जो उनकी प्रगति के दौरान बाधाओं को लागू करता है। भारत में, महिलाओं को उनकी नौकरियों के लिए वेतन और पारिश्रमिक के मामले में भेदभाव किया जाता है। यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए एक तथ्य है, उन्हें रोजगार की स्थापना के भीतर पदोन्नति और उन्नति की चिंताओं में गलत व्यवहार किया जाता है। महिला

उद्यमियों को अक्सर किसी भी तरह का व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्त और संसाधन प्राप्त करने में अधिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एक महिला के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को बाधित करता है। वह अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती है, भले ही वह आर्थिक रूप से मजबूत न हो और उसे नौकरी की जरूरत हो।

भारत में, पिछले 10 वर्षों में बलात्कार के मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बलात्कार आम तौर पर दुश्मनी, दुश्मनी, नाराजगी या किसी अन्य कारण से होता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, 2012 में 25000 बलात्कार के मामले सामने आए। भारत में, विशेष रूप से उत्तरी भारत में, ग्रामीण क्षेत्रों के भीतर, उच्च जाति के लोग निम्न जाति समूहों के सदस्यों पर सत्ता का इस्तेमाल करने की रणनीति के रूप में सामूहिक बलात्कार का उपयोग करते हैं। दिसंबर, 2012 में दिल्ली में हुए शातिर सामूहिक बलात्कार मामले ने देश के भीतर बलात्कार के मामलों से निपटने के लिए एक सख्त कानून यानी आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 पारित किया था।

भारत में अधिकांश जगहों पर समुदाय और समाज पितृसत्तात्मक संरचना के साथ बंधे हुए हैं। इस प्रकार के समाजों में, महिलाओं के लिए अपनी स्थिति स्थापित करना और न्याय प्राप्त करना कठिन हो जाता है। धार्मिक समुदाय, ग्राम समुदाय या पेशेवर निकायों जैसे कृत्रिम समुदाय पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता के बमुश्किल प्रतीक हैं। अक्सर धार्मिक समुदायों ने रूढ़िवादी प्रथाओं को अपनाने के लिए मजबूर करके महिलाओं के जीवन को दयनीय बना दिया है जिससे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक हिंसा की व्यापकता के साथ, महिलाएं आमतौर पर अपने घरों के भीतर सीमित हो जाती हैं और बाहरी दुनिया से अलग हो जाती हैं। उन्हें समाज के सदस्यों के साथ अपने संचार पर अंकुश लगाने की आवश्यकता होती है।

महिलाओं का सशक्तिकरण

वर्तमान अस्तित्व में सशक्तिकरण सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली शर्तों में से एक बन गया है जो महिलाओं की प्रगति और विकास को इंगित करता है। महिला समूह, गैर–सरकारी विकास संगठन, कार्यकर्ता, राजनेता, सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां अपने मुख्य उद्देश्यों में से एक के रूप में सशक्तिकरण का उल्लेख करती हैं। सशक्तिकरण कार्यक्रमों, योजनाओं, उपायों, रणनीतियों, नीतियों और नियमों के बारे में महिलाओं में जागरूकता और समझ पैदा करता है। यह एक परियोजना के रूप में माना जाता है, जो आम तौर पर व्यक्तियों से गुजरता है, जो अंततः परिवर्तनों और परिवर्तनों की ओर जाता है। सशक्तिकरण को एक वितरण प्रक्रिया के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो कि पारस्परिक संबंधों और पूरे समाज में, दोनों में बिजली के वितरण को बदलने के लिए है। एक और अर्थ संकेत करता है, संसाधनों और साधनों को प्राप्त करने, प्रदान करने, प्रदान करने और ऐसे साधनों और संसाधनों पर नियंत्रण को सक्षम करने की प्रक्रिया। उपरोक्त को देखते हुए, यह शब्द इसलिए हाशिए पर रहने वाले समूहों, गरीबों, निरक्षरों, स्वदेशी समुदायों और उन महिलाओं के लिए अधिक प्रासंगिक है, जो समाज के भीतर अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

सशक्तीकरण एक जटिल मुद्दा है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूपरेखा में अलग–अलग व्याख्याएं हैं। महिलाओं के सशक्तीकरण के साथ, उन्होंने कई क्षेत्रों की समझ हासिल करना शुरू कर दिया, ये निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भागीदारी हैं; घरेलू कार्य पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा और न केवल महिलाओं द्वारा किए जाने चाहिए, महिलाओं को प्रजनन कार्यों को नियंत्रित करना चाहिए और परिवार के आकार पर निर्णय लेना चाहिए; महिलाओं को अपनी जरूरतों और इच्छाओं के अनुसार आय अर्जित करने की अनुमति दी जानी चाहिए; कामकाजी महिलाओं को अपने नौकरी कर्तव्यों के प्रदर्शन का मूल्य और आनंद लेना चाहिए; उन्हें आत्मविश्वासी होना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए बोलना सीखना चाहिए और आपराधिक और हिंसक कृत्यों को रोकने की क्षमता होनी चाहिए। समुदाय या संगठनात्मक स्तरों पर सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जो उपाय तैयार किए गए हैं, वे हैं– महिलाओं के संगठनों का अस्तित्व, महिलाओं और महिलाओं के लिए धन का आवंटन, परियोजनाएं, गाँव, जिला, प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर महिला नेताओं की संख्या में वृद्धि, भागीदारी महिलाओं के डिजाइन, रणनीति, विकास और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, सामुदायिक कार्यक्रमों में भागीदारी, उत्पादक उद्यम, राजनीति और कला, गैर–पारंपरिक कार्यों में महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वृद्धि और कानूनी अधिकारों का प्रयोग करना, जहां की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्तर पर, ये सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के बारे में जागरूकता, सामान्य राष्ट्रीय विकास योजना में महिलाओं को शामिल करना, महिलाओं के नेटवर्क और प्रकाशनों का अस्तित्व, महिलाएं किस हद तक ध्यान देने योग्य हैं और इस बात को स्वीकार करती हैं कि महिलाओं के मुद्दे किस हद तक हो सकते हैं मीडिया को संबोधित किया।

महिलाओं की स्थिति के उत्थान के लिए मौलिक अधिकार

भारत के संविधान के भाग प्प् के तहत लेख, मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो महिलाओं की स्थिति में सुधार करने की कोशिश करते हैं और निम्नानुसार थीम के लिए समानताएं प्रदान करते हैंः

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार– महिलाओं सहित सभी व्यक्ति कानून की नज़र में समान हैं और वे भारत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण का आनंद लेने के भी हकदार हैं। यह इंगित करता है कि सभी व्यक्ति लिंग के बावजूद, समान परिस्थितियों में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। राज्य को एक व्यक्ति और दूसरे के बीच कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, और कानून को समान रूप से प्रशासित किया जाना चाहिए।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 भेदभाव के खिलाफ निषेध से संबंधित है – यह राज्य को किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव को करने के लिए निषिद्ध करता है जिसमें नस्ल, जाति, लिंग, जातीयता, धर्म, जन्म स्थान और सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर महिलाएं शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि सभी नागरिक दुकानों, होटल, रेस्तरां, बैंक, बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक स्थानों आदि के संबंध में समान अधिकारों का आनंद लेने के हकदार हैं, लेकिन राज्य को महिलाओं और बच्चों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने का अधिकार है। और अन्य पिछड़ा वर्ग।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार – सभी नागरिकों सहित, महिलाओं को सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता का आनंद मिलेगा, भले ही उनके लिंग, नस्ल, जाति, जातीयता, धर्म और सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि हो। कुछ अपवाद हैं, अर्थात् संसद कानून द्वारा निर्धारित कर सकती है कि राज्य के भीतर निवास को विशेष रूप से रोजगार की आवश्यकता है। राज्य को पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ पदों को आरक्षित करने का अधिकार है और एक धार्मिक संगठन के संबंध में नियुक्ति उस धर्म से संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित हो सकती है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार– अस्पृश्यता की प्रणाली को कम कर दिया गया और अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम 1955 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। इस

अधिनियम को अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया था, ताकि समाज से अस्पृश्यता को हटाने के लिए कानून को और अधिक कठोर बनाया जा सके।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार, प्रत्येक नागरिक शामिल है

महिलाओं को अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने के लिए, यूनियनों या संघों का निर्माण करने के लिए, देश भर में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने के लिए, देश के किसी भी हिस्से में निवास करने या बसने और किसी भी पेशे का अभ्यास करने या ले जाने के लिए, किसी की इच्छा के अनुसार किसी भी वैध व्यापार या व्यवसाय पर।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार – कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा। जीवन का यह अधिकार, अधिकार के साथ जीने का अधिकार, निजता का अधिकार आदि शामिल है। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के लिए अपमानजनक है, क्योंकि यह महिलाओं के आत्मसम्मान और गरिमा को कमजोर करता है, जो पीड़ित हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार–राज्य सभी बच्चों को, जो छह से चौदह वर्ष की आयु के हैं, एक प्रकार से अनिवार्य और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे, जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है।

आरोपी महिलाओं को सुविधा प्रदान करने के लिए – भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार, महिलाओं सहित किसी भी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी अपराध का दोषी नहीं ठहराया जाएगा और किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा चलाने और दंडित नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध का आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए, वह खुद या खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर होगा।

महिलाओं और बालिकाओं में अनैतिक तस्करी को रोकने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 – मानव में यातायात पर प्रतिबंध लगाता है और उसे मजबूर किया जाता है। इस अनुच्छेद के अनुसरण में, संसद ने महिलाओं और लड़कियों के अधिनियम, 1956 में अनैतिकता के दमन को पारित कर दिया है, जो है अब कार्यों को दंडित करने के लिए अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम 1956 का नाम दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अमानवीय जीवों की तस्करी होती है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार बाल श्रम, विशेष रूप से बालिकाओं को प्रतिबंधित करने के लिए– चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों का रोजगार, कारखाने या खान या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में लगे हुए लोगों के लिए निषिद्ध है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत – महिलाओं सहित सभी व्यक्ति समान रूप से अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के प्रचार, अभ्यास और स्वतंत्रता के अधिकार के लिए समान रूप से हकदार हैं।

महिलाओं और काम के लिए कानूनी ढांचा

भारत में महिलाएं दुनिया की दूसरी सबसे अधिक आबादी वाले देश की आर्थिक रूप से सक्रिय आबादी का 32 प्रतिशत से अधिक प्रतिनिधित्व करती हैं। भारतीय संविधान महिलाओं के लिए कानून से पहले समानता की गारंटी देता है, और महिलाओं के लिए संस्थागत समर्थन उन्नत लगता है, महिलाओं के अधिकार की रक्षा के लिए कई कानून हैं। भारत में श्रम कानून, उद्योग विशिष्ट, विशिष्ट क्षेत्र या केंद्रीकृत हो सकते हैं। अधिनियमों को निम्नानुसार बताया गया है:

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 – यह कानून मजदूरी, काम पर रखने, पदोन्नति, या प्रशिक्षण के लिंग भेदभाव को रोकने का लक्ष्य रखता है, और कुशल और अकुशल श्रमिकों के वेतन पुनरावर्तन के माध्यम से दरकिनार किया जा सकता है। अक्सर, नौकरी के प्रकार या कौशल स्तर की परवाह किए बिना, महिलाओं को अकुशल, कम वेतन वाली श्रेणी में रखा जाता है, जबकि पुरुषों को कुशल, उच्च वेतन श्रेणी में रखा जाता है। अधिनियम में पुरुषों और महिला श्रमिकों को समान वेतन दिया जाता है। या इसी तरह का काम किया। भर्ती और सेवा शर्तों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सिवाय इसके कि जहां महिलाओं के रोजगार कानून द्वारा प्रतिबंधित हैं, जैसे रात के घंटे या उद्योग की विशिष्ट बाधाएं।

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (संसद का अधिनियम) – महिलाओं के मौजूदा वैधानिक संरक्षण की समीक्षा करने, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को समय–समय पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन करता है, जो अभाव से संबंधित शिकायतों की जांच करता है। ये अधिकार, और महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों की मुकदमेबाजी में वित्तीय सहायता करते हैं।

संवैधानिक (74 वां संशोधन) अधिनियम, 1992 – स्थानीय स्तर पर राजनीतिक सत्ता में महिलाओं ने पानी जैसे संसाधनों पर नियंत्रण के लिए सामूहिक साक्षरता कार्यक्रम के लिए संघर्ष किया है। क्योंकि कार्यालय का कामकाज उत्तरोत्तर समृद्ध होता जा रहा है, पार्टियां केवल कुछ महिला उम्मीदवारों को आगे रखती हैं, और ये अक्सर रिश्तेदार होते हैं। जबकि इन महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, कुल मिलाकर अभी भी राष्ट्रीय राजनीति में कई महिलाएं नहीं हैं। संशोधन राज्य या सार्वजनिक संस्थानों में स्थानीय शासी निकायों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण या कोटा अनिवार्य करता है।

कार्यस्थल विधेयक, 2010 में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ संरक्षण – यह विधेयक, कार्यस्थल के भीतर यौन उत्पीड़न की परिभाषा बनाएगा, और हर संगठन के लिए 10 से अधिक कर्मचारियों के साथ अनिवार्य रूप से समितियों का निर्माण करेगा, महिलाओं की अध्यक्षता में यौन उत्पीड़न का प्रबंधन करेगा। शिकायतों। ये समितियां साक्ष्य एकत्र कर सकती हैं और सिविल न्यायालयों के बराबर होंगी, हालांकि समस्याग्रस्त रूप से, सदस्यों को कानूनी पृष्ठभूमि की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, जुर्माना शामिल करने वाले नियोक्ताओं के लिए दंड बनाया जाएगा।

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 – यह अधिनियम एक महिला को बच्चे के जन्म से जुड़े पूर्ण वेतन के साथ 12 सप्ताह की छुट्टी की अनुमति देता है और कोई गोद लेने का लाभ नहीं है। किसी नियोक्ता द्वारा मातृत्व अवकाश के दौरान या उसके कारण किसी महिला को डिस्चार्ज या निलंबित करना गैरकानूनी है। एक महिला कर्मचारी को सामान्य ब्रेक के अलावा दो नर्सिंग ब्रेक लेने की अनुमति होनी चाहिए, जब तक कि उसका बच्चा 15 महीने का नहीं हो जाता।

कारखानों अधिनियम, 1948 – अधिनियम के अनुसार, नियोक्ता को कार्यस्थलों पर छह साल से कम उम्र के बच्चों के लिए चाइल्डकैअर सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, जहां 30 से अधिक महिला श्रमिक कार्यरत हैं। फैक्ट्रीज एक्ट का उल्लंघन करने के लिए एक नियोक्ता के खिलाफ अभियोग निराला है, और पर्यवेक्षकसेलडोमक्सैमाइन कार्यरत महिला श्रमिकों की संख्या या अनिवार्य क्रेच या चाइल्डकैअर सेंट्रेस। वास्तव में, रिकॉर्ड पर, एक एकल ज्ञात नहीं है, जहां एक पर्यवेक्षक या पर्यवेक्षक गया था। महिला कर्मचारियों की संख्या की जांच करने के लिए एक कार्य। इसके अलावा, नियोक्ता 30 से कम महिलाओं को रोजगार देकर या अंशकालिक या अनुबंध श्रम का उपयोग करके कारखानों अधिनियम को बायपास करते हैं।

बीड़ी और सिगार वर्कर्स (रोजगार की स्थितियां) अधिनियम, 1966 – बीड़ी और सिगार फैक्टरियों में कामगारों की भलाई के लिए अधिकतम घंटे और काम के माहौल की सुरक्षा सहित काम की शर्तों को विनियमित करके प्रदान करता है। इसके अलावा, कामकाजी माताओं के लिए चाइल्डकैअर सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। इस अधिनियम में सलाहकार और केंद्रीय सलाहकार समितियों को महिलाओं की अनिवार्य नियुक्ति की आवश्यकता है।

द प्लांटेशन लेबर एक्ट, 1951 – पचास से अधिक महिला श्रमिकों के साथ प्रत्येक वृक्षारोपण को बाल देखभाल प्रदान करना चाहिए, जिनमें एक महिला श्रमिक भी शामिल है। एक ठेकेदार द्वारा नियोजित किया जाता है। वृक्षारोपण को चाइल्डकैअर भी प्रदान करना चाहिए, जब महिला कर्मचारियों के पास बीस से अधिक बच्चे हैं। महिला श्रमिकों को अपने बच्चों को खिलाने के लिए काम के बीच में ब्रेक मिलता है।

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियमन, 1950 – मातृत्व लाभ गर्भपात, गर्भावस्था से संबंधित, बीमारी, बिस्तर पर आराम या पूर्व–जन्म के लिए एक चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख पर उपलब्ध कराया जाता है।

अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 – दिन देखभाल प्रदान की जानी चाहिए, जहां 20 या अधिक महिलाएं नियमित रूप से अनुबंध पर काम करती हैं।

बाल विवाह अधिनियम, 2006 का निषेध – बाल विवाह अधिनियम, 2006 का निषेध, जो बाल विवाह के खिलाफ राष्ट्रीय कानून है, नाबालिगों के मामले में सहमति के प्रश्न को अनुमति नहीं देता है और बाल विवाह को दंडनीय अपराध मानता है। हालाँकि, यह कुछ विवाहों को अमान्य और कुछ अन्य को शून्य घोषित करके गलत धारणा बनाता है। एक नाबालिग की शादी को बल, धोखाधड़ी, धोखे, लुभाने, बेचने और खरीदने या एक अवैध विवाह की तस्करी द्वारा औपचारिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अन्य सभी बाल विवाह शादी के लिए पार्टियों के विकल्प पर शून्य होते हैं और इसलिए वैध विवाह, जब तक कि वे अमान्य नहीं होते हैं। न्यायालय द्वारा। यदि कानून किसी बच्चे के लिए सहमति का अधिकार नहीं देता है, तो उसे सभी बाल विवाहों को अवैध रूप से प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि सभी बाल विवाह तब होते हैं, जो विवाह या तो किसी प्रकार के दबाव, डराने–धमकाने या धोखाधड़ी, तस्करी और ऐसे अन्य गैरकानूनी साधनों के इस्तेमाल से होते हैं। या बच्चे के दिमाग–सेट (ठुकराल, और अली, एन डी) को प्रभावित करके।

मानवाधिकार

मानव अधिकारों को आम तौर पर उन अधिकारों के रूप में समझा जाता है जो सभी मनुष्यों के आंतरिक हैं। मानवाधिकारों की अवधारणा यह स्वीकार करती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के जाति, पंथ, नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनैतिक या अन्य मत, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल के क्षेत्रों में बिना किसी भेदभाव के करता है। मानवाधिकारों की कानूनी रूप से राष्ट्रीय गठन और कानून, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संधियों और दस्तावेजों द्वारा गारंटी दी जाती है। वे उन व्यक्तियों और समूहों की गतिविधियों की रक्षा करते हैं जो उनकी मौलिक स्वतंत्रता और मानव गरिमा (महिला स्वास्थ्य और मानवाधिकार, 2007) के दौरान बाधा डालते हैं।

मानव अधिकारों के महत्व को निम्नलिखित पहलुओं के संबंध में स्वीकार किया गया है, ये प्रत्येक व्यक्ति के आत्मसम्मान और मूल्य के सम्मान के लिए शुरू किए गए हैं। वे सार्वभौमिक हैं और इस प्रकार बिना किसी प्रकार के भेदभाव के किसी भी व्यक्ति, जाति, पंथ, नस्ल, धर्म, व्यवसाय और सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना समान रूप से लागू किए जाते हैं। इन अधिकारों को निर्विवाद रूप से लागू किया जा सकता है। दूर, विशिष्ट स्थितियों को छोड़कर, उदाहरण के लिए, स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है, अगर कोई व्यक्ति कानून की अदालत द्वारा अपराध का दोषी पाया जाता है। मानवाधिकार अविभाज्य, परस्पर संबंधित और अन्योन्याश्रित हैं, इस प्रकार, कुछ मानव अधिकारों का सम्मान करना अनुचित है, दूसरों का नहीं। व्यवहार में, एक अधिकार का उल्लंघन अक्सर कई अन्य अधिकारों की गरिमा को प्रभावित करता है। इसलिए, सभी मानव अधिकारों को समान महत्व और प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान और मूल्य के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए (महिला स्वास्थ्य और मानवाधिकार, 2007)। व्यक्ति, समाज और पूरे राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए यह आवश्यक है कि मानव अधिकारों को उचित तरीके से मान्यता दी जाए और उनका उपयोग किया जाए।

निष्कर्ष

इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के मानवाधिकारों की समझ हासिल करना है। मुख्य कारण, कि महिलाओं के अधिकारों को कम आंका गया है, पितृसत्तात्मक समाज के अस्तित्व के कारण है। पुरुष प्रधान समाज में, पुरुष बच्चों को वरीयता दी जाती थी, कन्या भ्रूण हत्या और कन्या भ्रूण हत्या की प्रथाएं थीं। मादाओं को देनदारियों के रूप में माना जाता था, जिससे खर्च होता था, जबकि पुरुषों को संपत्ति माना जाता था, जो उनके परिवारों के लिए धन पैदा करते थे। निर्णय लेने और अन्य शक्तियों और अधिकारियों को पुरुषों के हाथों में निहित किया गया था। महिलाओं की जिम्मेदारियां घर के काम, बच्चे के विकास और परिवार के सदस्यों की देखरेख करने तक ही सीमित थीं।

वर्तमान अस्तित्व में, नए तरीकों के आधुनिकीकरण और उपयोग के प्रभाव के साथ, महिलाओं के अधिकारों को स्वीकार किया गया है। सभी श्रेणियों और पृष्ठभूमि की लड़कियों और महिलाओं को शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित किया जा रहा है। डॉक्टर, वकील, शिक्षक, शिक्षाविद्, प्रबंधक, प्रशासक और इतने पर महिलाएं उभरते हुए पेशेवर हैं। अल्पसंख्यक समुदायों से संबंध रखने वाली लड़कियों को शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला दिया जाता है, ताकि वे अपने माता–पिता के साथ–साथ समुदाय की भलाई के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करना सीखें। शिक्षा एक व्यक्ति को उचित और अनुचित के बीच अंतर करने में सक्षम बनाती है, बुद्धिमान निर्णय लेना सीखती है, समुदाय के कल्याण की दिशा में काम करती है और एक कुशल तरीके से अधिकारों का प्रयोग करती है।

संदर्भ

1. टनोनुएवो, सी. एम., 1995, वीमेन, एजुकेशन एण्ड एम्पावरमेंटः पाथवेज टुवर्ड्स ऑटोनोमी, सेज प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 46।
2. सरायल, एस., 2014, वीमेंस राईट इन इण्डियाः प्रॉब्लेम्स एण्ड प्रोस्पेक्ट्स, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज, *3;7द्धए* 49.53ण
3. ठकुराल, इ. जी. एण्ड अली, बी., 2016, चाइल्ड मैरेज इन इण्डियाः एचीवमेंट, गैप्स एण्ड चैलेंजेज, जनता प्रकाशन, कोलकाता, पृ. 104।
4. वीमेंस राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, 2014, युनाइटेड नेशंस।
5. वीमेंस हेल्थ एण्ड ह्यूमन राइट्स, 2007, मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सी. ई. डी. ए. डब्ल्यू
6. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन, 2017।